राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर

क्रमांकः–एफ–3 / संस्था / RSBTDA / 2015 / 560 जयपुर, दिनांक 1-08-2022

आदेश

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बस टर्मिनलों पर सुविधाओं के सृजन, विकास एवं प्रचालन और ऐसे अधिसूचित बस टर्मिनलों में राज्य परिवहन उपक्रमों और प्राइवेट बस प्रचालकों द्वारा बसों के चलाये जाने को कारगर एवं सुविधाजनक बनाने हेतु 27 अप्रैल, 2015 को राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण (**RSBTDA**) का गठन किया गया था।

वर्तमान में राज्य में अधिसूचित बस स्टैण्ड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम / स्वायत्त शासन विभाग / पंचायत राज के स्वामित्व में है। चूंकि प्राधिकरण का जिला / नगर परिषद् / नगर पालिका / ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी पद सृजित नहीं है जिसके कारण प्राधिकरण के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होती है।

अतः प्राधिकरण के सफल संचालन एवं प्राधिकरण द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के मूल पदनाम के साथ निम्नानुसार पदनाम नामित (Designate) किया जाता है :–

क्र. सं.	अधिकारी का वर्तमान पदनाम	विभाग का नाम	नामित (Designate) किया जाने वाला पदनाम	क्षेत्राधिकार
1.	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा	संभाग बस अड्डा प्रबन्धक	संबंधित संभाग
2.	जिला परिवहन अधिकारी	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा	जिला बस अड्डा प्रबन्धक	संबंधित जिला
3.	मुख्य प्रबन्धक (संबंधित आगार)	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	बस अड्डा प्रबन्धक	संबंधित RSRTC बस अड्डा

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अभय कुमार)
अध्यक्ष, **RSBTDA**
एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन

राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर

क्रमांकः–एफ–3 / संस्था / RSBTDA / 2015 / 560 जयपुर, दिनांक 01-08-2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं अध्यक्ष, RSBTDA, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा व सचिव, RSBTDA, जयपुर।
5. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (समस्त)।
6. जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
7. मुख्य प्रबन्धक (संबंधित आगार), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
8. रक्षित पत्रावली।

सचिव, **RSBTDA**
एवं आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा